17.36 hrs.

Title: Resolution regarding ban on cow slaughter and its progeny throughout the country. (Not concluded).

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up Item No.15 of today's agenda paper. Before Shri Prahlad Singh Patel moves his Resolution, may I request the hon. Members to indicate as to how much time they require for discussion on this Resolution? I think two hours are sufficient.

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: So, two hours have been allotted for discussion on this Resolution.

SHRI PRAHLAD SINGH PATEL (BALAGHAT): I beg to move:

> "This House is of the opinion that the Government should bring forward a suitable legislation to ban slaughter of cow and its progeny throughout the country."

मैंने एक संकल्प इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है। मैं ऐसा मानता हूं कि सदन की राय है कि सम्पूर्ण भारत में गौ और गौवंश की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून सरकार तत्काल लेकर आये। मैं संकल्प के रूप में जिस विाय को यहां पर लेकर आया हूं, मैं इस सदन का पहला सदस्य नहीं हूं, जो इसे लेकर आया है। एक सितम्बर, 1972 को एक माननीय सदस्य ने विधेयक के रूप में इस सदन में इस विाय पर चर्चा प्रारंभ की थी। दूसरी बार 1990 में जब मैं इस सदन का पहली बार सदस्य चुनकर आया था तब श्री गुमान मल लोढ़ा जी इसे विधेयक के रूप में चर्चा के लिए लाये थे । उस चर्चा में मैंने भी भाग लिया था। इसके बाद 1998 में लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री योगी आदित्यनाथजी एक प्राइवेट विधेयक के रूप में इस विाय पर चर्चा करने के लिए इसे सदन में लाये थे। चौथी बार आज इस विाय पर चर्चा प्रारंभ हो रही है। मैं अपनी बात आराध्य परम पूज्यश्री बाबाश्री की वाणी से शुरू करूंगा। उन्होंने मुझसे कहा कि "जीव-जीव आहार नहीं, जीव-जीव आधार"। दुर्भाग्य की बात है कि जब भी इस विाय पर चर्चा आई तो प्रायः इसको साम्प्रदायिक या राजनीतिक खेल ने बिगाड़ दिया। इस सदन की अनेक बार आम राय बनी है लेकिन वह राय कभी परवान नहीं चढ़ सकी।

इस देश को आजाद हुए 55 वर्ा हो रहे हैं । इस देश का जो संविधान बना, उसको बने हुए भी 50 वर्ा हो गये। हमने सभी की स्वर्ण जयंती मना ली लेकिन इस देश के जो मनीाी रहे हैं, राजनेता रहे हैं, जिनके सम्मान में हम प्रति वर्ा उनके जन्म दिवसों पर सिर्फ उनके अनुयायी ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान की जनता उनके सिद्धांतों की, उनकी राय की खूब वकालत करती है और कुछ उत्सव भी मनाये जाते हैं।

लेकिन मैं बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमने पचास वर्ाों की इस राजनैतिक यात्रा में, चाहे हम सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हों, राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे हों, धर्म की दृटि से जिस भी पूजा-पद्धति या सम्प्रदाय को मानते रहे हों, हमने हर बार यह माना कि हम इस राट्र का भला चाहते हैं लेकिन कोई भी कारगर बात शायद हमने कभी नहीं की। इतिहास के जो पचास से अधिक वर्ा गुजर गए, वे इस बात के गवाह हैं। मैं यहां कुछ मनीाियों को उद्धृत करना चाहता हूं। आचार्य पंडित श्रीराम शर्मा, जो युग निर्माण योजना के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनकी राय है - " दूध तो उपयोगी जीवन तत्वों के लिए पिया जाता है जिसे माता के बाद दूसरा स्रोत गाय से प्राप्त किया जा सकता है। गौ रक्षा के प्रश्न पर भावात्मक और आर्थिक दोनों दृटियों से विचार करने की आ वश्यकता है।" राट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है --- " हिन्दुस्तान में अनगिनत पशुधन है जिसकी तरफ हमने ध्यान न देकर गुनाह किया है। गौ रक्षा मुझे मनुय के सारे विकास क्रमों में सबसे अलौकिक वस्तु मालूम हुई है। " आचार्य विनोवा भावे, जिनको राट्र संत कहा गया है, ने कहा है -- " हिन्दुस्तान किसानों का मुल्क है। खेती का भी हिन्दुस्तान में बहुत विकास हुआ है, शोध हुआ है। गाय, बैलों की अच्छी हिफाजत पर हिन्दुस्तान की खेती निर्भर है। हिन्दुस्तानी सभ्यता का नाम ही गौ सेवा है लेकिन आज गांवों की हालत हिन्दुस्तान में उन देशों से भी अधिक खराब है जिन्होंने गौ सेवा का नाम नहीं लिया था। हमने नाम तो लिया पर काम नहीं

किया।" महामना मदन मोहन मालवीय कहते हैं -- " यदि हम गौ की रक्षा करेंगे तो गौएं हमारी भी रक्षा करेंगी।" मैं इन सबके नाम का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि इन सभी महापुरुाों के छाया चित्र, उनके विचार हमारे जीवन में प्रेरणा देते हैं और मुझे लगता है कि हर राजनैतिक नेता, चाहे वह किसी भी दल को मानने वाला हो, इस बात से सहमत है । मैंने पूर्व में भी कहा कि हमारी पूजा-पद्धति पर मतभेद हो सकता है लेकिन विचारों से मतभेद नहीं हो सकता। मैं डा.राजेन्द्र प्रसाद की बात का भी यहां उल्लेख करना जरूरी समझता हूं क्योंकि वे इस देश के पहले राट्रपति थे। ऐसा माना जाता है कि उनकी राय हमेशा गांधीवादी रही है। पटना के एक सम्मेलन में उन्होंने जो कहा, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं - "मवेशियों से हमारी जितनी आमदनी होती है, उतनी आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं है।" उनसे तमाम प्रश्न किए गए। उनसे ट्रैक्टर्स के बारे में कहा गया, मांस निर्यात के बारे में कहा गया, कृाि के उत्पादों के बारे में कहा गया। उन्होंने सबके जवाब दिए। मैं सिर्फ उनकी अंतिम बात का उद्धरण करना चाहता हूं। उन्होंने ट्रैक्टर और मशीनों के संदर्भ में कहा है -- " मैं समझता हूं कि जो हालत आजकल हिन्दुस्तान की है, उसमें इस तरह की कला से थोड़ी देर तक काम चला सकते हैं मगर बैलों की जरूरत हमेशा रहेगी, बैलों के बिना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती।" लाला लाजपत राय, जिनका स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज तक किसी भी मामले में, किसी से कोई मतभेद नहीं हुआ, वे कहते हैं -- " अंग्रेजी राज्य में गौ वध होता है और गाय सबको घी, दूध देकर बलवान बनाती है। इसलिए हम सब लोगों को, जो अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तैयार हैं और अंग्रेजों को यहां से खदेड़ना चाहते हैं, उन्हें अंग्रेजों से असहयोग करना चाहिए।" गौ हत्या अंग्रेज करते हैं इसलिए उनको भगाना चाहिए, यह उनकी प्राथमिकता थी। महर्ाि पुरुाोत्तम दास टंडन, जिनको राज ऋाि कहा गया, उन्होंने कहा है --" फैशन के फेर में पड़ कर जो चमड़े की वस्तु इस्तेमाल करते हैं, वे गौ हत्या के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने गौ मांस खाने वाले।" उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि हत्या तो हम कर रहे हैं लेकिन जो लोग उनको प्रोत्साहन देते हैं, वे भी इस बात के दोाी हैं। महर्ाि दयानन्द कहते हैं -- " गाय की हत्या करके एक समय में केवल बीस व्यक्तियों को ही भोजन दिया जा सकता है जबकि वही गाय अपने पूरे जीवनकाल में कम से कम बीस हजार लोगों को अपने दूध से अमृत तुल्य पेय पदार्थ प्रदान कर सकती है।" यदि एक गाय को मार कर मांस खाना चाहें तो बीस लोग उसका आहार कर सकते हैं लेकिन यदि वह जीवित रहे तो जी वन पर्यन्त अपने दूध से बीस हजार लोगों का भला कर सकती है।

अंत में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश के पहले प्रधान मंत्री थे, के बारे में कहना चाहता हूं। उनसे जब कहा गया तो उन्होंने कहा -- " मैं कसाई खानों को बिल्कुल नापसन्द करता हूं । जब मैं किसी बूचड़खाने के पास से गुजरता हूं तो मेरा दम घुटने लगता है। पशु हमारे देश के धन हैं, इनका ह्रास मैं कदापि पसन्द नहीं करता। यह तो मैंने उन बातों का उल्लेख किया है, जिनका हम सब सम्मान करते हैं। प्रथम राट्रपति और प्रथम प्रधानमंत्री, इन दोनों के नाम का मैंने विशेा तौर पर उल्लेख किया है। महात्मा गांधी जी का भी मैंने विशेा रूप से उल्लेख किया है।

अब मैं सुप्रीम कोर्ट की एक बात कहना चाहता हूं। सन् 1958 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 48वें अनुच्छेद की व्याख्या करते हुए निम्नांकित निर्णय दिया था।

एक-गायों का कत्ल नहीं किया जा सकता। अगर बूढ़ी, बेकाम गायों के कत्ल की छूट दी जाये तो अच्छी गायों को भी नहीं बचाया जा सकता। गाय की अवधता के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक कारणों का विश्लेाण प्रस्तुत किया। दो-बछड़े-बछड़ियों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। तीन-जवान और काम करने लायक बैलों, सांडों और दूध देने वाली भैंसों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। चार-बूढ़े बेकाम बैलों, सांडों और बूढ़ी भैंसों का भी कत्ल नहीं किया जा सकता। वे आगे कहते हैं कि अन्तिम आंशिक छूट का यह परिणाम हुआ कि कई प्रदेशों में सम्पूर्ण गौहत्याबन्दी कानून अर्थहीन हो गये, 1958 में यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है। उसके बाद भी आखिर में वे कहते हैं कि यहां गाय-बैल के कत्ल के लिए 10 साल की सजा का भी प्रावधान है, जम्मू-कश्मीर का सुप्रीम कोर्ट के उस आर्डर में उन्होंने उल्लेख किया है।

मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि इन 50 वर्षों के पूर्व से इस विाय पर इतने महान पुरुा अपनी बात कहते रहे तो क्या इस सदन में कभी आम राय नहीं हो सकती थी, कभी इस बात की कल्पना हमने नहीं की कि गौहत्या पर प्रतिबन्ध की बात क्या साम्प्रदायिक है ? क्या राजनैतिक धरातल पर हमने इस बात को स्वीकार करना होगा ? यदि हमने इस बात का ध्यान दिया होता तो हम शायद ऐसी भूलें न करते। मैं यहां सदन के सदस्यों से एक बात स्पट करना चाहता हूं, मेरे मन में आलोचना करने की बात कदापि नहीं है, लेकिन मेरे आराध्य श्री बाबाश्री ने एक बार मुझसे प्रश्न किया कि "युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धान्त क्या है ?" हो सकता है कि यह आध्यात्मिक शब्द लोगों को साम्प्रदायिक लगने लगे, लेकिन यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, जब उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि 'भूल सुधार या मूल सुधार'। मैं चुप रहा, मेरा मजाक उड़ा, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारा चुप रहना फायदेमंद रहा, क्योंकि जो प्रश्न था, उसका जो उत्तर बताया गया है, अगर उसमें से कोई आधा कहेगा तो वह अर्धसत्य होगा, पूरा सत्य नहीं हो सकता। "युग परिवर्तन का अकाट्य सिद्धान्त भूल सुधार और मूल सुधार है।" दुर्भाग्य यह है कि इस सदन में जब भी कोई चर्चा होती है तो प्रश्न रखने वाले व्यक्ति ऐसे उत्तर छोड़ते हैं, जो यह कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आप इस बात को स्वीकार करिये कि भूल सुधार या मूल सुधार। जो भी एक को स्वीकार करेगा, वह युग परिवर्तन का कभी भी अगुवाई व्यक्ति या सदन नहीं हो सकता । क्योंकि प्रश्न गलत है तो उत्तर भी गलत होगा। मैं इस बात को इस दृटि से, इस भावना से उल्लेख करना चाहता हूं कि महात्मा गांधी, जिन्होंने गौहत्यावाद का प्रतिवाद किया था, क्या इस देश का दुर्भाग्य नहीं है कि जब उनकी जन्म शताब्दी 1969 में मनाई जा रही थी तो इस देश में मांस निर्यात उस वर्ा से प्रारम्भ किया। यह हमारी भूल है, हम इस बारे में किसी को दोाी नहीं ठहराना चाहते। मैं किसी को अपमानित करने के लिए यहां इस सदन में नहीं हूं। लेकिन मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ऐसी भयानक भूलें इस सदन में जो भी सरकार रही, उसने कीं।

हमारी मान्यता थी, जिस मान्यता में आप महात्मा गांधी को राट्रपिता कहते हैं। उनकी जन्म शताब्दी पर शायद आप गौहत्या पर प्रतिबन्ध लगाते तो शायद वह वास्तविक सम्मान होता, ईमानदारी भरा हमारा कार्य होता, तब उनके विचारों के प्रति समर्पण होता, उस व्यक्ति के प्रति समर्पण और इज्जत आपकी ओर से दिखती । लेकिन आपने इसका ठीक उल्टा किया। जो आदमी जीवन भर अहिंसावादी रहा, उसकी जन्म शताब्दी पर इस देश में मांस का निर्यात प्रारम्भ हुआ। दूसरे इस देश के पहले प्र धानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी आई, हम जरा रिकार्ड उठाकर देखें, तो मीट टैक्नोलॉजी मिशन प्रारम्भ हुआ। वही जब जवाहर लाल जी की जन्म शताब्दी का वर्ा था। ये भयानक भूलें कैसे हुईं, इसके जिम्मेदार कौन हैं, हमने वही किया, जो हम नहीं करना चाहते थे। जिनका हमने सम्मान किया, उनके विचारों को हमने उन्हीं अवसरों पर ध्वस्त किया, जहां उनको सम्मान के लिए मूर्त रूप देना था, उनकी भावनाओं का अनुसरण करना था, लेकिन हमने 50 वर्षों में वह नहीं किया। उनकी जन्म शताब्दियों पर हमने भयानक भूलों के निर्णय लिए तो यह देश कैसे ठीक हो सकता है।

मैं आलोचना करूं तो किसकी करूं, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि मैं आलोचना कहां से प्रारम्भ करूं। अब रहा सवाल इतिहास का, यह कितना लम्बा इतिहास है, मैं अकेला इस सदन में कह रहा हूं, विरोध कर रहा हूं, यह महत्व की बात नहीं है। इस देश में कानून भी हैं। 1971 में पशु अत्याचार निोध कानून बना, दूसरा कानून 1972 में पशु संरक्षण कानून बना। ये कानून मौजूद हैं, लेकिन जब इनका पालन करने की बात आती है तो प्रदेश सरकारें अपनेढंग से उसका उपयोग करती हैं। इस देश में गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध विाय पर हम चर्चा कर रहे हैं। सदन चाहे या नहीं चाहे, सरकार क्या करेगी, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे भी राज्य रहे हैं, जैसे जम्मू-कश्मीर का मैंने उदाहरण दिया था। जम्मू-कश्मीर की सरकार ने कभी स्वीकार नहीं किया, उसने दस साल के कठोर कारावास की बात स्वीकार की, जब वहां लोकशाही नहीं थी, तब भी वहां गोहत्या पर प्रतिबंध था, लेकिन हमने इस बात को नजरअंदाज किया। उसके बाद जो विरोध होते रहे, उनका बहुत लम्बा क्रम है। मैं समझता हूं कि सदन की जानकारी में यह बात आनी चाहिए कि इतना लम्बा स्वर, इतने जिम्मेदार लोगों को हमने कैसे नजरअंदाज किया, यह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

1857 में सैनिक विद्रोह हुआ। वह गोमांस की चर्बी के कारण हुआ। यह पहला विद्रोह था। उसके बाद लोकमान्य तिलक जी ने गोहत्या के विरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया। 1921 में गोपाल अटमी के दिन असहयोग आंदोलन के दिन यह ऐतिहासिक सम्मेलन तिलक जी ने किया। हकीम अजमलखां जी ने उसकी अध्यक्षता की थी और लाला लाजपत राय तथा महात्मा गांधी की उपस्थिति में यह सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 25 जुलाई, 1921 को गोवंश संरक्षण संघ की स्थापना हुई। गांधी जी ने उसके सम्मेलन की अध्यक्षता की। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव के द्वारा तत्कालीन मैसूर राज्य के प्रधान मंत्री मिर्जा इस्माइल गांधी जी से राय लेकर गए और उन्होंने उस आंदोलन को प्रारम्भ किया। 19 नवम्बर, 1947 को सरदार दातार सिंह की अध्यक्षता में पशु संवर्धन समिति बनाई गई जो सरकारी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा मिलकर किया गया पहला प्रयास था। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय विनोबा जी ने जो आग्रह किया था, उसे सदन ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1962 में ही हरिद्वार में एक भारतीय धर्म संघ का प्रस्ताव आया। यह सबसे ताकतवर विरोध इस देश में हुआ था, जब साधु-संतों ने मिलकर एक प्रस्ताव पारित किया। 1962 में ही विदेशी मुद्रा के लिए जब मांस निर्यात का प्रस्ताव आया तो उसका पुरजोर विरोध हुआ। 1965 में स्वामी नरेंद्र देव तीर्थ जी के नेतृत्व में साधुओं का एक शिट मंडल इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री जी से मिला। उसने गोहत्या पर प्रतिबंध की मांग की और जो गोहत्या हो रही थी, उसके खिलाफ जबर्दस्त विरोध प्रकट किया। 1966 में राट्रीय स्वयं सेवक संघ ने एक करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन तत्कालीन राट्रपति और प्रधान मंत्री को प्रस्तुत किया। 1966 में ही आचार्य श्री रामचंद्र शर्मा जी ने 80 दिन का अनशन किया, जो हिन्दुस्तान के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। इस अनशन को हम भौतिक रूप से रिकार्ड कहते हैं, जो ध्वस्त नहीं हो सका। 10 अगस्त, 1966 को फिर उन्होंने 32 दिन का अनशन किया। 20 सितम्बर को फिर अनशन किया। इस पर उन्हें जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा। श्री गोविंद बल्लभ पंत जी के नेतृत्व में 5 नवम्बर, 1966 को यह विरोध प्रकट हुआ। इस दिन संसद पर अभूतपूर्व प्र दर्शन हुआ। गोलियां चलीं, अनेक साधु-संन्यासी और गोरक्षक मारे गए। 7 नवम्बर, 1966 को संसद पर सर्वदलीय प्रदर्शन हुआ। उसमें 15 से 20 लाख लोगों ने अपने आपको भागीदार बनाया। 20 नवम्बर, 1966 से 73 दिन का अनशन पुरी के शंकराचार्य परम पूज्य निरंजन देव जी ने इसी दिल्ली में किया। वहां गोहत्या की बंदी के लिए समिति का ऐलान हुआ। यह यहीं नहीं रुका, आगे भी चलता रहा। 11 जनवरी 1982 से 1994 तक गोरक्षा समिति द्वारा सत्याग्रह हुआ। इतनी लम्बी अवधि तक चलने वाला कोई दूसरा आंदोलन नहीं रहा होगा।

हिन्दू-मुस्लिम की बात बहुत होती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक यूथ विंग है। उसके अध्यक्ष हमारे सहयोगी यहां बैठे हैं। जिस समय उनका सम्मेलन हुआ था, वह मुस्लिम सम्मेलन हुआ था। श्री शाहनवाज हुसैन जी जो आजकल सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने यह आर्गेनाइज किया था। 4 दिसम्बर, 1997 को यह मुस्लिम सम्मेलन हुआ था। उसमें भी यह प्रस्ताव पारित हुआ कि गोवंश की हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं इस बात का उल्लेख करना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आजादी से लेकर आज तक धर्माचार्य, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सारे लोग इस बात की वकालत कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं।

आक्रोश के साथ लोगों ने अपनी जानें भी दी हैं। उसके पीछे कारण क्या हैं। लेकिन इन तथ्यों पर विचार करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि राट्र के साथ यह नाइंसाफी है। मैंने भी अनेक बार जानना चाहा है कि इस देश में मनुयों की बढ़ती हुई संख्या की तुलना में कितना पशु धन है और यह पशु धन घट रहा है तो क्या उसके कोई आंकड़े देगा? मेरे पास जवाब आया था। 1997 से जनगणना चालू है लेकिन अभी पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद आंकड़े जो आते हैं, उनमें सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण सामने हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमने इसकी चिंता की होती तो जो आंकड़ों में गिरावट दिखती है, वह शायद नहीं

दिखती। मैं कुछ आंकड़े सामने रखना चाहता हूं। 1953 में जनगणना के हिसाब से प्रति 1000 जनसंख्या पर 453 पशु धन था। 1961 में यह पशु धन 436 रह गया। 1971 में 326, 1981 में 278, 1991 में 216 और 1993 में जब आंकड़े साफ हुए तो यह पशु धन घटकर मात्र 176 रह गया। 1997 से जनगणना जो चालू हुई है, वह पूरी नहीं हुई। अनुमान कहता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 60 पशुओं से ज्यादा इस देश में नहीं रह गये हैं। यह परिस्थिति क्यों बनी? आज़ादी के समय हमारे देश में 300 कत्लखाने थे। आज देश में कत्लखानों की संख्या 36000 हो गई है। पशु-धन कैसे नहीं घटेगा? अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि पशु धन घटाकर इस देश को समृद्ध किया जा सकता है तो इस बात से इस सदन का कोई सदस्य सहमत नहीं होगा। हिन्दुस्तान का पशु-धन घटाकर विदेशी मुद्रा कमाकर देश को समृद्ध बनाने की जो कल्पना है, वह वैचारिक रूप से ध्वस्त करने योग्य है। यह बात सत्य के धरातल पर कभी भी खरी नहीं उतर सकती। यह सच्चाई नहीं है। पशु-धन को नट करके इस देश को समृद्ध नहीं बनाया जा सकता। यहां के समाज में बढ़ती जनसंख्या, घटती जोत, घटता पशु-धन इस देश के सबसे बड़े संकट हैं। इस बात को यहां जो लोग बैठे हैं, उनको इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमारी चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि आर्थिक और सामाजिक पक्ष क्या है। इस सदन में बैठे हुए हर सदस्य की जो सोचने की प्रवृत्ति है, हमें उस पर विचार करना होगा।

सभापति महोदय : कुछ आंकड़े और बिन्दु दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। रिप्लाई में भी आपको बोलना है। आप जरा कंक्लूड कीजिए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आपसे निवेदन है कि थोड़ा समय लगेगा।

सभापति महोदय : ठीक है।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : मैं जिस बात का जिक्र कर रहा था, वह यह है कि कुछ हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम अपनी समस्याओं के समाधान की दिशा में ऐसे फैसले न लें जिससे स्थायी संकट पैदा हो जाये और जिससे आने वाली पीढ़ी निदान ही न खोज सके। हम समाधान की जल्दी में बहुत हैं लेकिन निदान हमारे पास नहीं है। हम मानते हैं कि कृाि में उत्पादन बढ़ेगा। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि यदि उत्पादन बढ़ता है तो फिर उर्वरक शक्ति घटती है। इस सच्चाई को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। रासायनिक खाद का यदि उपयोग होता है तो हमारी फसल की उपज बढ़ी लेकिन जमीन की उर्वरा शक्ति घटी है। यह प्रमाण है कि जो सदन में बैठे हैं, उनके सामने वैज्ञानिक तथ्य रखा गया है कि जब भी गाय के गोबर का उपयोग करके खेती की गई है, उसमें जमीन की शक्ति घटी नहीं है। मैं अनेक उदाहरण दे सकता हूं कि गाय का चमड़ा हो या हड्डी हो या उसका मांस-मूत्र हो, उसकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कहीं नुकसान करने वाली हो। अब तो यह साबित हो गया है कि जब परमाणु विकिरण की स्थिति होगी, गोबर से लिपा हुआ जो क्षेत्र है, उसमें विकिरण की समस्या पैदा नहीं होगी। जो टैम्परेचर की समस्या है कि इतना तापमान रहता है। आज यह बात भी साफ हो गई है कि जहां किसी घर की दीवारों की गोबर से लिपाई-पुताई की गई है तो वहां 6 डिग्री तक टैम्परेचर में कमी पाई गई है।

18.00 ण्द्धद्

यह हमारे समाज का कर्तव्य था और हमें इसको दुनिया में बतलाना चाहिए था। जैसे एक मानव ने कहा कि गौ सेवा हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इस बात को हम दुनिया में प्रचार करते और अपने पक्ष को रखते। इसका अनुसरण करने के बाद हम दुनिया में जगद्गुरू की लड़ाई में पिछड़ गए हैं। हमने बातें बहुत की हैं, लेकिन उसका अनुसरण नहीं किया है । इसका परिणाम यह है कि जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, कल जब उंगली उठेंगी, तो बातें सुननी पड़ेगी। आपके पास सब जानकारियां थी, आपके पास महापुरुषों की इतनी बड़ी-बड़ी बातें थीं, इस सदन में इतने लोगों ने चर्चा में भाग लिया, लोगों ने विरोध किया, लेकिन आपने उस दायित्व को पूरा नहीं किया। इस तरह के आरोप से कोई भी लोग बच नहीं सकते हैं। यह हमारे समाज का कर्तव्य था। इस बात को इस सदन में ही नहीं, बल्कि दुनिया के सामने ले जाकर रखना था कि गोवंश हत्या कोई धार्मिक हत्या नहीं है। किसी भी समाज के समग्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला यह सच है। विकास की जिस धारणा को, जिस धारा को इस देश ने स्वीकार किया और वह सच्चाई है कि विकास होगा, तो पर्यावरण का नुकसान होगा। उससे कोई बच नहीं सकता है। जो हमारा अर्थतन्त्र है, हमारी अपनी जो सोच थी, हमारा अपना जो विचार था, उस विचार में गौ और गोवंश की हत्या पर हमने हमेशा आक्षेप किया। हमने कहा है, कोई राजा किसी गुरु को एक लाख गाय दान करता है, तो वह संख्या कोई माया का प्रदर्शन नहीं था। वह इस बात का द्योतक है कि एक लाख गाय जहां रहेंगी, जिस समाज में रहेंगी, वहां का वातावरण शान्त रहेगा। हमें इस बात का बल मिलेगा कि हम इस क्षेत्र को निजी तौर पर वातावरण से सुरक्षित रखेंगे। अच्छा व्यवहार करने लायक समाज में वातावरण निर्मित करेंगे। इस विाय में एक वैज्ञानिक तथ्य सामने आया है, जो मील का पत्थर साबित हो सकता है।

सभापति महोदय : सदन में चर्चा 15.45 बजे शुरु हुई थी, इसलिए सदन का समय 18.15 बजे तक रहेगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : महोदय, जून, 1995 में मास्को के एक शहर में दिल्ली विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों, मोहम्मद इब्राहिम और डा.विजय राज सिंह, ने एक शोधपत्र प्रस्तुत किया था। उस शोधपत्र का विाय था - जहां पर कत्लखाने हैं, वहां पर भूकम्प आते हैं या आपदायें आती हैं। मास्को में बैठे हुए व्यक्ति ने हिन्दुस्तान के उस वैज्ञानिक के शोधपत्र को स्वीकार कर लिया, लेकिन दिल्ली में जो हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति का ज्ञान हमारे पास हैं, उस रिपोर्ट को स्वीकार करने में कतराते हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी इस राय में परिवर्तन होना चाहिए। सदन जो राय रखता है, उस राय के साथ अपने आप को जोड़ना चाहिए।

महोदय, आर्थिक रूप से गाय, बछड़ा या बैल कैसे उपयोगी हो सकते हैं, मैं इस बारे में आंकडे प्रस्तुत कर सकता हूं। लेकिन हमें इस बात को समझना होगा कि जिन विकसित देशों की बातों को हमने माना, क्या हमने उन देशों के आंकड़ो को देखा है। विकसित देशों ने नए टैक्नोलाजी मिशन बनाने का प्रचार किया, हमसे अच्छे मांस की अपेक्षा की और जिनके माया भ्रम में हम आ गए, उनके यहां पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन विकसित देशों में प्रति हजार व्यक्ति पर पशुओं की सख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहां पर दूध उत्पादन बढ़ रहा है। मैं इस संबंध में आपके माध्यम से आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं - अर्जेंटीना में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 2079 पशु हैं, आस्ट्रेलिया में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 13,065 पशु हैं, कोलम्बिया में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 1919 पशु हैं और ब्राजील में प्रति एक हजार व्यक्ति पर 726 पशु हैं। यदि हम अपने देश में निर्यात की स्थिति को देखें, तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1971-72 में चमड़े का निर्यात 100 करोड़ रुपए था, जो 1992-93 में 3300 करोड़ रुपए हो गया। इसका सीधा अर्थ यह है कि पशु मारे होंगे या मरे होंगे, तभी इतना निर्यात संभव हुआ है। यह बात इन आंकड़ों से प्रमाणित होती है।

हमने यह गलतियां की हैं। हम उन्हें सुधारें। हमने मांस का निर्यात किया। 1989-90 में 110 करोड़ रुपए का मांस निर्यात किया था। 1991-92 में 195 करोड़ रुपए का हो गया। 1993-94 में एक साल में ही 250 करोड़ रुपए का हो गया। 2001 में मांस निर्यात का एक हजार करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। ऐसा लक्ष्य सरकार स्वयं रख रही है। मुझे मालूम नहीं गोवंश कितने दिन बचेगा? उद्योग के रूप में इसे रॉ-मैटिरियल भी मानते हैं। इसका सरकार को जवाब देना होगा। पशुधन अपने आप कृत्रिम तरीके से पैदा नहीं होता है। वह अपनी प्राकृतिक प्रजनन क्षमता के आधार पर घटता और बढ़ता है। यदि हमने अपने ढंग से उसके साथ अन्याय किया तो यह बात मान कर चलनी होगी कि ऐसी परिस्थिति में कभी इसका निदान सम्भव नहीं है। गुरु पूर्णिमा में मैं और लोगों के साथ अपने आराध्य गुरु के साथ था। उन्होने जो कुछ कहा मैं उसे यहां रखना चाहता हूं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा था कि मैं किसी की चापलूसी नहीं करता। उन्हंने कहा कि जब तुम्हारी मां तुम्हें जन्म देती है तो प्राकृति उसे साल-डेढ़ साल या दो साल से ज्यादा का अवसर नहीं देती कि वह इससे ज्यादा दिन दुग्धपान करा सके लेकिन गाय तुम्हें क्या, तुम्हारी औलाद भी आएगी तो उसे दूध देगी। रहा सवाल भैंस का। मदन मोहन मालवीय जी ने भैंस के बारे में लिखा है कि हमने अन्याय किया। बाकी पशुओं के दूध में चिकनाई हो सकती है लेकिन उनमें विटामिन और दूसरी चीजें नहीं हो सकतीं जो एक बालक के पूर्ण विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि गोवंश की रक्षा क्यों

करना जरूरी है? गाय को माता कहते हैं। गांधी जी ने तो तुलना कर दी। सभापति महोदय, मैं तुलना नहीं करना चाहता लेकिन उन्होंने तुलना कर दी। हमें पैदा करने वाली माता से भी ज्यादा आदरणीय गऊ माता है। मैंने ऐसी तुलना करने का दुस्साहस नहीं किया। वह बहुत बड़े व्यक्ति थे और वह इसकी तुलना कर गए। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई है। मेरी मां मेरे जन्म के दो वर्ा तक ही दूध पिला सकती है, बाकी समय शरीर के विकास के लिए, मस्तिक के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए खास तौर पर अगर कोई चीज चाहिए तो वह सिर्फ गऊ माता का दूध ही होगा। हम गऊ को माता, धरती को माता या राट्र को माता कहते हैं लेकिन इस पर भी उंगली उठायी जाती है। हमने अपने आप को तोड़ने और अपमानित करने के लगातार क्रम को जारी रखा है। इस संबंध में हमने अपने आप को बहुत पीछे धकेला है। इस पक्ष की तरफ भी हमें ध्यान देना होगा।

सभापति महोदय, मैं सदन में बहुत छोटा हूं। मैं सदन में बहुत पहले से नहीं आया हूं। शुरु से सदन के निर्माण के समय जो लोग रहे होंगे उनसे अपेक्षाएं की जाती हैं। जिन बिन्दुओं के प्रति सदन को आगाह किया गया, आप उसे पढ़ें और स्थापित करें। शायद उनकी भी अनदेखी की गई। सभापति महोदय, आप जिस आसन पर बैठे हैं वहां " धर्मचक्र प्रवर्तनाय" लिखा है। सदन में धर्म की जितनी आलोचना हो सकती है उतनी होती है। धर्म का अर्थ किसी पूजा पद्धति के साथ जोड़ा जाता है। मैं एक-दो श्लोक लिख कर लाया हूं। जब हम लॉबी में प्रवेश करते हैं तो लिफ्ट नम्बर दो में लिखा है

सभा वा न प्रवेटव्या, वक्तव्यं वा समंञ्जसम,

अब्रुवन विब्रुवन वापि नरोभवति किल्विी।

"कोई व्यक्ति या तो सभा में प्रवेश ही न करे अथवा यदि वह ऐसा करे तो उसे वहां धर्मानुसार बोलना चाहिए क्योंकि न बोलने वाला अथवा असत्य बोलने वाला मनुय दोनों ही समान रूप से पाप के भागी होते हैं।" मैंने यह बात जानबूझ कर कही है क्योंकि हमने आजादी के बाद 55 वर्ा गुजारे हैं और यह श्लोक उस समय से वहां अंकित है। हमने कहा था कि उन वाणियों का सम्मान करना होगा लेकिन अब मनु के बारे में भी टिप्पणी करने से संकोच नहीं होता बल्कि गर्व महसूस होता है। मैं यह नहीं कहता कि यहां यह कहना जरूरी है कि उनका सम्मान किया जाए लेकिन यह कहने में जरूर विश्वास है और मैं इस बात पर जोर देकर कहना चाहता हूं कि महापुरुाों और उनकी वाणियों को मान्यता दी गई है। वह देश और दुनिया के लिए ठीक हो सकते हैं। उनके अपमान के बारे में सदन को चिन्ता करनी चाहिए। इन स वालों के कारण ही हमने गोवंश की हत्या जैसी महत्वपूर्ण चीज पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। महत्वपूर्ण विाय की जानबूझ कर अनदेखी करना छोटे लाभ के लिए स्थायी नुकसान का हमने रास्ता खोल दिया।

लिफ्ट नम्बर एक में जो लिखा है मैं उसे भी बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, आप संस्कृत के अच्छे जानकार हैं। यदि गलत पढ़ दूं तो क्षमा करें।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा, वृद्धा न तेये न वदन्ति धर्मम् ,

धर्म : स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यम् न तद्यच्छलमभ्युपैति।

इसका अर्थ यह है कि वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्मानुसार न बोले। जहां सत्य न हो, वह धर्म नहीं, जिसमें छल है, वह सत्य नहीं। यह महाभारत के 35वें अध्याय का पांचवां श्लोक है। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमने अपना लम्बा समय इस धरती पर नट कर दिया है और इस देश की गरिमा को तिरोहित करने में नट कर दिया है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिये। आज केवल इस देश का सवाल नहीं है, दुनिया का भी अनुसरण करके इस संकट से बचा सकता है। जहां पर अकाल का संकट है, भू-जल का संकट है, बढ़ती आबादी, घटती जोत, इस कारण उत्पादन घटेगा। फिर रिपोर्ट आई है कि ग्लोबल चेंजेज आ रहे हैं। भारतर्वा में भी चेजेंज आये हैं। यहां उत्पादन में कमी आई है। सरकार पानी नहीं गिरा सकती, सरकार पशु-धन पैदा नहीं कर सकती। हम इस प्राकृतिक परिस्थिति में कम्पनसेट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो इसके लिये सचेट होने की आवश्यकता है।

अंत मे मैं इतना ही कहूंगा मेरी सारी बातें मेरे पूज्य श्री बाबाश्री पर निर्भर करती है। उन्हेंने मुझसे कहा था, 'संकल्प का विकल्प खोजने में महान कार्य रुक जाता है।' संकल्प आदमी अकेला लेता है। यदि यह सदन संकल्प लायेगा तो बाहर से दबाव की जरूरत नहीं है। अगर मैं संकल्प लाऊंगा तो यह मेरा निजी संकल्प होगा। मेरे मित्रों, मेरे सहयोगियों और मेरे संगठन की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसे पूरा नहीं करता हूं तो यह मेरी कमजोरी है। उसके लिये दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी लाज बचाने के लिये प्रयास करता हूं। इस महान कार्य में यह सदन सहयोगी है। वास्तव में यह जो कर्तव्य था इसे वर्ाों पहले करना था, इससे मनीाियों, धर्माचार्यों का सम्मान होगा, इससे देश का सम्मान होगा। यह देश की भविय में आने वाली पीढी के लिये जरूरी है। इसके निदान के लिये सिर्फ मन से नहीं, बुद्धि से नहीं,अपनी आत्मा के संकल्प के साथ विचार करें। यह प्रार्थना करते हुये इस सदन से अपील करता हूं। अब अवसर नहीं है कि हम किसी राजनैतिक कारण से , किसी पंथ के खिलाफ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आरोप लगाया गया तो बाबर का उल्लेख करूंगा । बाबर ने जाते-जाते अपने बेटे हुमायूं से कहा था कि अगर देश में राज करना है तो कभी जीवन में गौ हत्या नहीं करना। इतिहास इस बात का गवाह है । अकबर ने भी कहा था । इन तथ्यों को समझने की जरूरत है मुझे नहीं पता कि इस में सदन की आम राय नहीं बन सकेगी। मुझे विश्वास है कि सदन इस बारे में अपनी राय बनायेगा। इस नयी सदी में यह सवाल पहली बार आया है और मैं मानूंगा कि यह सदी भारतर्वा के लिये महत्वपूर्ण होगी और हम अपनी गरिमा को प्राप्त करेगें। इसी आशा और विश्वास के साथ सदन से निवेदन करूंगा कि यह सदन एकजुट हो।

MR. CHAIRMAN : Motion moved:

> "This House is of the opinion that the Government should bring forward a suitable legislation to ban slaughter of cow and its progeny throughout the country. "

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB : Sir, I stand here to support the Resolution which has been moved by Shri Prahlad Singh Patel. Since my childhood I have been hearing about four mothers.

एक मां तो मां है, एक मां मातृभूमि है, एक मां गंगा माता है और एक मां गौ माता है।

I have been hearing this since my childhood. I was born and brought up in a village. I have lived with a number of people who have a greater attachment towards cattle and cows. It is explained, सर्वांगीण उन्नति, शरीर से और मस्तिक से that is total development of a human being. While going through the different scientific reports, I came across one line that by taking cow milk, a child's brain develops.

Two years ago, I had been to Mexico with the hon. former Speaker, the late Shri G.M.C. Balayogi. While going around in that trip, a number of Mexicans told us that they were looking towards India for its attachment to cattle.

They said that they wanted to inculcate how India developed its milk production. There is a discussion in the United States and most of the developed countries too about providing nutritious milk to each and every child. This has happened in our country and it has been a success. We are not aware about it because we are close to our country. Once we go out to another developing country, we get to hear how people look towards us. This is one aspect.

There are two or three other aspects relating to this Resolution. The first among them relates to how cow is beneficial to society; the second relates to what we expect from the Government; and the third is whether it is essential that we allow our cattle to go to the slaughter house and the meat of cows to be exported or not.

Some months ago, I had raised a Question relating to export of meat in this House and a reply came from the hon. Minister of Commerce and Industry. I think, the Chair knows and many hon. Members present in this House know that a colleague of ours lost his Ministership because of a question relating to cow slaughter and export of meat.

MR. CHAIRMAN : Shri Bhartruhari Mahtab, would you mind sitting down for a minute?

It is eighteen minutes past six o'clock now and it is time to conclude the business for the day. You may continue on the next day this Resolution is taken up.

The House stands adjourned to meet again on Monday the 29th July, 2002 at 11 a.m.

18.18 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock

on Monday, July 29, 2002/Sravana 7, 1924 (Saka).